न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (RAS)
राजस्व वाद संख्या 19/2020 **RCMS 2020/00035**

वादीया

1. गिरदावरी पत्नी मदनलाल जाति रेगर उम्र 66 वर्ष निवासी ग्राम पांचवा हाल निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़, राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण

1. ओमप्रकाश पुत्र मदनलाल जाति रेगर निवासी ग्राम पांचवा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
2. बलवीर पुत्र मदनलाल जाति रेगर निवासी पांचवा तहसील कुचामनसिटी हाल निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. विमला पुत्री मदनलाल जाति रेगर निवासी ग्राम पांचवा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर।
4. सन्तरा पुत्री मदनलाल जाति रेगर निवासी ग्राम पांचवा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर।
5. राधादेवी पत्नी कल्लाराम जाति जाट निवासीयान ग्राम नारायणपुरा तहसील कुचामनसिटी
6. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)

दावा रिकार्ड दुरूस्ती व शुद्धि कराने बाबत धारा 88 व 136 R.T.Act1955

उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर वादी की ओर से।
श्री भीकमचन्द अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 से 4 की ओर सें

निर्णय

दिनॉक :– 13/03/2020

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार से है वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 4 एक ही खानदान के सदस्य है व स्व. मदनलाल के उत्तराधिकारी वारिसान है जिनका सजरा खानदान निम्नवत है :–

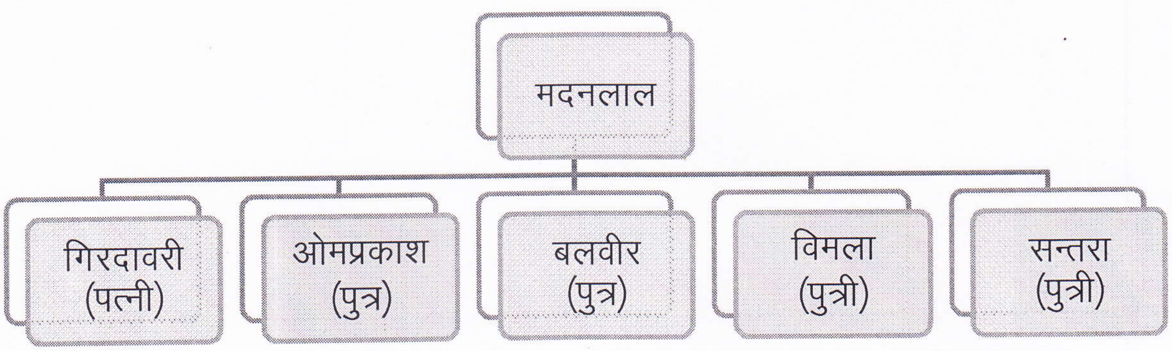

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 13:24:44 IST
Reason: SelfAttested

ग्राम पाचंवा तहसील कुचामनसिटी की सरहद [illegible] षि भूमि के खसरा नम्बर 157 रकबा 1.21 हैक्टर स्थित चली आ रही [illegible] की संयुक्त खातेदारी की भूमि परिवार के अन्य सदस्यों के [illegible], वादिया के पति मदनलाल की मृत्यु पर फौतगी नामान्तरकरण दर्ज करते समय कानी पत्नी [illegible]नलाल जाति रेगर दर्ज कर दिया जबकि वास्तविक नाम गिरदावरी पत्नी मदनलाल जाति रेकर दर्ज होना चाहिए था वादिया के दस्तावेज राशनकार्ड, आधार कार्ड इत्यादि में नाम गिरदावरी पत्नी मदनलाल दर्ज रहता आया है अतः इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अपना नाम कानी पत्नी मदनलाल के स्थान पर गिरदावरी पत्नी मदनलाल

उपखण्ड अधिकारी

दर्ज कराना चाहती है जिसके लिए वाद लाना आवश्यक हुआ है, वादीया की इस्तदुआ है कि ग्राम पांचवा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर के खसरा नम्बर 157 रकबा 1.21 हैक्टर, में वादीया का नाम कानी पत्नी मदनलाल जाति रेगर दर्ज हो रखा है उसके स्थान पर रिकार्ड दुरूस्ती कर वादीया का वास्तविक नाम गिरदावरी पत्नी मदनलाल जाति रेगर के नाम खातेदारी अधिकारो की घोषणा कर रिकार्ड दुरूस्ती की डिक्री सादिर फरमाई जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादी सं. 1 एवं 4 उपस्थित आये, जिन्होने इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया, प्रतिवादी सं. 5 अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दस्तावेजी साक्ष्य में वादीया की ओर से चालू जमाबन्दी नकल सम्वत 2073–2076 ग्राम पांचवा के खाता संख्या 13 खसरा नम्बर 157 रकबा 1.21 हैक्टर प्रस्तुत की, राशन कार्ड नम्बर 00305 की छाया प्रति, ओमप्रकाश के राशन कार्ड सं. 008383900839 की छाया प्रति, आधार कार्ड नम्बर 433758987355 गिरदावरी पत्नी मदनलाल, पदमपुरा 10 जश्न, हनुमानगढ़ गुडिया, राजस्थान की छाया प्रति प्रस्तुत की। जमाबंदी नकल सम्वत 2073–2076 ग्राम पांचवा के खसरा नम्बर 157 रकबा 1.21 हैक्टर में ओमप्रकाश पुत्र मदनलाल हिस्सा 1/5 जाति–रेगर सा. देह खातेदार, कानी पत्नी मदनलाल हिस्सा 1/5 जाति–रेगर सा. देह खातेदार, बलवीर पुत्र मदनलाल हिस्सा 1/5 जाति–रेगर सा. देह खातेदार, विमला पुत्री मदनलाल हिस्सा 1/5 जाति–रेगर सा. देह खातेदार, सन्तरा पुत्री मदनलाल हिस्सा 1/5 जाति–रेगर सा. देह खातेदार दर्ज है। उपलब्ध रेकार्ड एवं इकबाली जवाब दावा का अवलोकन किया गया, वादीया का नाम सभी दस्तावेजात इत्यादि में गिरदावरी पत्नी मदनलाल दर्ज है तथा मदनलाल के फौत होने पर विरासत नामान्तरकरण दर्ज करते समय बोलता नाम कानी पत्नी दर्ज कर दिया गया, जबकि प्रस्तुत दस्तावेजात में गिरदावरी पत्नी मदनलाल ही दर्ज चला आ रहा है, इस प्रकार वादीया का नाम कानी के स्थान पर गिरदवारी होने की पुष्टि उपलब्ध रेकार्ड, इकबाली जवाब इत्यादि से होती है, अतः वाद वादीया काबिल डिक्री योग्य पाये जाने से डिक्री किया जाता है।

आदेश

ग्राम पाचवा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 157 रकबा 1.21 में अन्य खातेदारान के साथ दर्ज प्रविष्टि कानी पत्नी मदनलाल जाति रेगर के स्थान पर गिरदावरी पत्नी मदनलाल जाति रेगर सही इन्द्राज किया जावे, शेष खाता बदस्तूर रहेगा। उक्त अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो, डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

आदेश आज दिनॉक 13/3/2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबुलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 13:24:44 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी   मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : बाबुलाल जाट (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 19/2020 **RCMS 2020/00035**

वादीया

1. गिरदावरी पत्नी मदनलाल जाति रेगर उम्र 66 वर्ष निवासी ग्राम पांचवा हाल निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़, राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण

1. ओमप्रकाश पुत्र मदनलाल जाति रेगर निवासी ग्राम पांचवा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
2. बलवीर पुत्र मदनलाल जाति रेगर निवासी पांचवा तहसील कुचामनसिटी हाल निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. विमला पुत्री मदनलाल जाति रेगर निवासी ग्राम पांचवा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर।
4. सन्तरा पुत्री मदनलाल जाति रेगर निवासी ग्राम पांचवा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर।
5. राधादेवी पत्नी कल्लाराम जाति जाट निवासीयान ग्राम नारायणपुरा तहसील कुचामनसिटी
6. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)

दावा रिकार्ड दुरूस्ती व शुद्वि कराने बाबत धारा 88 व 136 R.T.Act1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री भीकमचन्द अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है **ग्राम पाचवा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 157 रकबा 1.21 में अन्य खातेदारान के साथ दर्ज प्रविष्टि कानी पत्नी मदनलाल जाति रेगर के स्थान पर गिरदावरी पत्नी मदनलाल जाति रेगर सही इन्द्राज किया जावे, शेष खाता बदस्तूर रहेगा। उक्त अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो, डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।**

निज.............................. मुबलिग .... बाबत....................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक ....13....माह ....3.......... सन्...2020...... को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

दस्तखत..............................
ओहदा.............................. (मुहर)
उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी [illegible]		
स्टाम्प वजह सबूत			म[illegible]ल		
महन्ताना वकिल			[illegible] गवाह[illegible]		
खर्चा गवाहन			फिस[illegible]		
फिस कमिश्नर			[illegible] हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफ[illegible]		
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 13:24:44 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2020.03.14 11:54:54 IST
Reason: SelfAttested
Location: